Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9815619715
Email:
azadvaani65@gmail.com

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

Wed - 06 May - 2026	Year - 01	Issue - 30	Page - 01	Rs. - 5	www.azadvaani.com

चंडीगढ़ मर्डर केस: 'चीनी' हत्याकांड में महिला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा गैंगस्टर कनेक्शन उजागर

चंडीगढ़ में चर्चित चमनप्रीत उर्फ "चीनी" हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में लंबे समय से फरार चल रही महिला मास्टरमाइंड को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान सामने आया है कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा नहीं, बल्कि एक बड़े प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी साजिश थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिलवाया और इसके लिए अपराधियों से संपर्क किया गया था।

प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड के तार गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि महिला ने संपत्ति पर कब्जा जमाने और आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए गैंगस्टरों की मदद ली। इस साजिश में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित की थीं, जो अलग-अलग एंगल से जांच कर रही थीं। तकनीकी साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड और संदिग्धों की गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने इस केस की परतें खोलनी शुरू कीं, जिसके बाद महिला की गिरफ्तारी संभव हो पाई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से योजनाबद्ध हत्या का है, जिसमें हर कदम सोच-समझकर उठाया गया था। फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

ट्राइसिटी में तूफान का कहर: तेज आंधी-बारिश से जनजीवन प्रभावित, आगे भी अलर्ट जारी

चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला समेत पूरे ट्राइसिटी क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें सामने आई हैं।

तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे और तार प्रभावित हुए, जिससे कई इलाकों में घंटों तक बिजली सप्लाई ठप रही। अंधेरे और उमस से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात सामान्य करने में जुटी रहीं, लेकिन कई क्षेत्रों में देर रात तक बहाली का काम जारी रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है। विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासतौर पर खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है।

बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज तूफान ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं और नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़ी चेतावनियों का पालन करें।

हिमाचल में बढ़ता बाढ़ खतरा: रिपोर्ट में 45% जिले हाई-रिस्क जोन में

एक अध्ययन में हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के करीब 45% जिले बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा और पहाड़ी भूगोल इस खतरे को बढ़ा रहे हैं। साथ ही अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और नदियों के प्राकृतिक बहाव में हस्तक्षेप स्थिति को और गंभीर बना रहा है।

जुवेनाइल जस्टिस नियम 2026 लागू: हर जिले में बोर्ड और कमेटी से बच्चों को मिलेगा बेहतर संरक्षण

राज्य सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं, जिससे बाल न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। नए नियमों के तहत अब हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) का गठन अनिवार्य होगा। ये संस्थाएं बच्चों से जुड़े मामलों—चाहे वे कानून के साथ संघर्ष में हों या संरक्षण की जरूरत में—का त्वरित और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करेंगी। इससे बच्चों को न्याय, काउंसलिंग, शिक्षा और पुनर्वास जैसी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी और उनके अधिकारों की प्रभावी रक्षा हो पाएगी।

हरियाणा में शहरी विकास को रफ्तार: नई लैंड पूलिंग पॉलिसी से पंचकूला बनेगा ग्रोथ हब

हरियाणा सरकार ने राज्य में योजनाबद्ध शहरी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत पंचकूला समेत आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शहरी विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अनियोजित निर्माण को रोकते हुए व्यवस्थित और टिकाऊ शहरीकरण सुनिश्चित करना है।

नई पॉलिसी के तहत जमीन मालिक अपनी भूमि को स्वेच्छा से एक साझा पूल में शामिल कर सकेंगे। इसके बदले उन्हें विकसित प्लॉट, बेहतर सुविधाएं और भूमि के मूल्य में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे न केवल किसानों और जमीन मालिकों को फायदा होगा, बल्कि सरकार को भी बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

पंचकूला और ट्राइसिटी क्षेत्र में इस योजना के लागू होने से नए सेक्टर, चौड़ी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन एरिया और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, आईटी पार्क, कमर्शियल हब और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति रियल एस्टेट सेक्टर में नई ऊर्जा लाएगी और निवेश को आकर्षित करेगी। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता और समयबद्ध योजना जरूरी होगी, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और विकास का लाभ सभी तक पहुंच सके।

Authorised Dealer/Distributor

Industrial Pumps

Mechanical Seals

Pump Spares

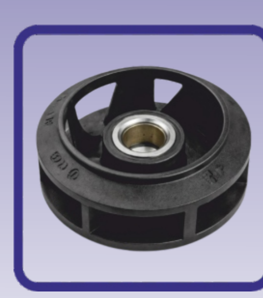

A. M. ENGINEERING

279, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh 160002

+91-9417455482
+91-9878316683

am.engg@yahoo.com
info@amengineering.in

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. RNI Number: PBBIL/26/A0779.